नर्मदा की महाशीर मछली के अस्तित्व पर संकट

मण्डला,देशबन्धु। मछली जलीय पर्यावरण पर आश्रित जलीय जीव है तथा जलचर पर्यावरण को संतुलित रखने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।जिस पानी में मछली नहीं हो तो निश्चित ही उस पानी की जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा मछली को जीवन सूचक (बायोइंडीकेटर) माना गया है। विभिन्न जलस्रोतों में चाहे तीव्र अथवा मन्द गति से प्रवाहित होने वाली नदियां हो, चाहे प्राकृतिक झीलें, तालाब अथवा मानव-निर्मित बड़े या मध्यम आकार के जलाशय, सभी के पर्यावरण का यदि सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो निष्कर्ष निकलता है कि पानी और मछली दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में मछली की विशेष उपयोगिता है।नदियों के अलग- अलग क्षेत्र अलग - अलग प्रकार की मत्स्य प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। ट्राउट प्रजाति की मछली नदी के उंचे इलाकों में पनपती है, जबकि कैटफिश प्रजाति (पाढीन) धीमी गति से बहने वाली पानी के तल के साथ दुबकी रहती है। सैल्मन जैसी प्रवासी मछलियां प्रजनन के लिए ठंडे, पथरीली तल पर तैरती है। पारिस्थितिकी तंत्र में छोटी मछली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बांध, पुलिया या अन्य अवरोध प्रवासी मछलियों को उनके ऐतिहासिक प्रजनन स्थलों पर लौटने से रोकते हैं। जब मछलियां अपने निवास स्थान तक नहीं पहुंच पाती हैं तो वे प्रजनन नहीं कर पाती हैं और अपनी आबादी बढ़ा नहीं पाती है। बांध के नीचे की ओर बहनें वाले पानी और तलछट की की मात्रा भी बदल जाता है, जिससे बांध के उपर और नीचे मछलियों के रहने की स्थिति बदल जाती है।

अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाडी में गिरने वाली नर्मदा नदी पर गत दशकों में अलग- अलग बांध बनने के बाद इसके पानी का प्राकृतिक बहाव में रुकावट आई है, जिससे मध्यप्रदेश की राजकीय मछली महाशीर के अस्तित्व पर संकट आ गया है। इस महाशीर मछली को ''टाईगर ऑफ नर्मदा'' भी कहा जाता है। महाशीर मछली प्रवाहित स्वच्छ जल धाराओं में में प्रजनन करती है। नर्मदा में लगातार होने वाला रेत खनन, नदियों में मछली की अवैध शिकार, मछलियों को पकड़ने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग और बनने वाले बांध भी महाशीर की संख्या घटने की एक प्रमुख वजह है। नर्मदा में यह पहले अन्य मछलियों की तुलना में 30 फीसदी थी जो अब घटकर 2 फीसदी रह गई है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि जैवविविधता के लिहाज से नर्मदा में महाशीर का होना बेहद जरूरी है। 26 सितम्बर 2011 में महाशीर को राज्य में संरक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष 2012 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आई यू सी एन) द्वारा महाशीर को विलुप्त घोषित किया गया है। इन मछलियों की खासियत यह है कि ये पत्थरों में लगने वाली काई और पानी की गंदगी खाकर नदी को साफ रखने में अहम भूमिका निभाती है।मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड हर छह माह में नर्मदा के प्रदुषण का आंकलन करता है। आंकलन में नर्मदा जल को कई स्थानों पर ''ए'' ग्रेड और बिना किसी उपचार के पीने योग्य बताया गया है। लेकिन उक्त जल में भी महाशीर का अस्तित्व नहीं बच पाया है।यदि जल वाकई साफ होता तो महाशीर के अंडे पानी में जरूर नजर आते। प्रदेश में मछलियों की 215 प्रजातियां हैं। इनमें से 17 पर विलुप्ति का खतरा है।सीवेज से प्रदुषित जल निकायों में मछलियों की मौत का कारण आक्सीजन की कमी होती है।मिडिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के पंचगंगा एवं कृष्णा नदी, मुम्बई के ऐतिहासिक बाणगंगा तालाब, तामिलनाडु के कावेरी एवं अडयार नदी, कर्नाटक की उदयावरा एवं फाल्गुनी नदी, केरल की पेरियार नदी, दिल्ली- हरियाणा सीमा के नजफगढ़ नाले, यमुना नदी के बागपत एवं आगरा क्षेत्र, गंगा नदी के हल्द्वानी वाराणसी कानपूर, जम्मू कश्मीर के बसंतर नदी, मध्यप्रदेश के बेतबा और मुरैना की कुवांरी नदी में हजारों की संख्या में मछलियां मृत पाई गई।ये कुछ उदाहरण मात्र हैं। इसलिए प्रत्येक नदियों के जल प्रवाह को अविरल और निर्मल रखने और गर्मी के मौसम में भी सुखने नहीं देना है यह सुनिश्चित करना होगा।नदी के उदगम स्थल से समुद्र तक पहुंचने वाली नदी को हर प्रकार के प्रदुषण से मुक्त रखा जाए। इस हेतु नदी घाटी के हर क्षेत्र के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्द से जल्द तैयार करना तथा शहरी, ग्रामीण और औधोगिक क्षेत्र का अपशिष्ट और खेती में उपयोग किया जाने रसायनिक खाद, कीटनाशक दवाई आदि को नियंत्रित करना होगा।नदी जल, भूजल, जलीय जीव आदि पर असर लाने वाला अवैध रेत खनन पर संपुर्ण प्रतिबंध लगाना होगा। नदी और नदी घाटी के किसी भी संसाधनों को प्रभावित करने वाली कोई भी विकास परियोजनाओं का सर्वांगीण अध्ययन और निष्पक्ष मुल्यांकन किया जाना आवश्यक है।नदियों को संरक्षित करने के लिए जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) का नदी घाटी मंच द्वारा ''नदी संरक्षण, सुरक्षा और पुनर्जीवन अधिनियम'' ड्राफ्ट प्राईवेट बिल आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है।

राज कुमार

कलेक्टर ने ली सामाजिक समितियों के अध्यक्षों की बैठक

मण्डला,देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में सामाजिक समिति के अध्यक्षों के साथ माहिष्मती घाट में पंचचैकी महाआरती के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि सामाजिक समितियाँ माह में एक-एक दिन निर्धारित करते हुए पंचचैकी महाआरती को सुचारू रूप से संपन्न कराएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी कपिल तिवारी सहित जिले के सामाजिक समितियों के अध्यक्षगण तथा संस्था प्रमुख उपस्थित थे।

सार-समाचार

एसडीएम ने किया मानादेई में आयोजित शिविर का निरीक्षण

मण्डला,देशबन्धु। कलेक्टर सोमेष मिश्रा के निर्देषानुसार ग्राम पंचायत मानादेई में षिविर का आयोजन किया गया। षिविर में एसडीएम मंडला सोनल सिडाम ने निर्देषित किया कि नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। एसडीएम सोनल सिडाम ने मानादेई के ग्रामीणों से चर्चा करते हुए राजस्व महाभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। षिविर में एसडीएम ने ग्रामीणों के सामने बी-1 का वाचन कराया। इस अवसर पर तहसीलदार मण्डला अजय श्रीवास्तव, पटवारी सहित राजस्व अमला उपस्थित था।

एसडीएम ने पेटेगांव में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया

मण्डला,देशबन्धु। एसडीएम मंडला सोनल सिडाम ने मण्डला विकासखंड के ग्राम पंचायत पेटेगाँव में आयोजित ''आरोग्यम मंडला'' जन स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने नागरिकों से चर्चा करते हुए षिविर में 12 तरह की जाँच करने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस शिविर में अधिक से अधिक नागरिक आकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य जांच का लाभ जरूर उठाएं। साथ ही जिन व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड नहीं बने हैं वे शिविर के माध्यम से अपना कार्ड जरूर बनवा लें। इस अवसर पर तहसीलदार मण्डला अजय श्रीवास्तव, पटवारी सहित राजस्व अमला उपस्थित था।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष शिविर आयोजित

मण्डला,देशबन्धु। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) योजना में गति लाने के उद्देश्य से 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक स्वनिधि स्वाभिमान पखवाड़ा अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत शिविर लगाए जाएंगे इनमें पात्र पथ विक्रेताओं को 8 जनकल्याणकारी योजनाएँ- पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम जीवन ज्योति योजना, जनधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, श्रमयोगी मानधन, वन नेशन वन राशन कार्ड, मातृवंदना व बीओसीडबल्यू में पंजीयन कर लाभान्वित किया जाएगा।

साथ ही पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों में स्वीकृति वितरण कर पथ विक्रेताओं को भी डिजिटल द्वारा ऑनलाइन पेमेंट हेतु बारकोड प्रदान कर प्रशिक्षित किया जाएगा। 18 नवंबर 2024 से 23 नवंबर 2024 तक शहरी आजीविका केंद्र नगरपालिका कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, जिला हॉस्पिटल के सामने मंडला में षिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार 25 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक नगरपालिका टाउनहॉल में षिविर लगेंगे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानंद नाफड़े ने नगरीय क्षेत्र के लाभान्वित पथ विक्रेताओं से अपील की है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, 2 फोटो एवं मोबाइल नंबर के साथ शिविर में उपस्थित होकर लाभ उठाएँ। योजना की विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय नगरपालिका परिषद मंडला शाखा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में संपर्क कर सकते हैं।

नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

मण्डला,देशबन्धु। अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय उप निर्वाचन 2024 हेतु नगरीय निकाय में पार्षद पद का निर्वाचन ईव्हीएम से 9 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। नगर परिषद निवास के वार्ड क्रमांक 13 आईटीआई के प्राथमिक शाला भवन करौंदी में पार्षद पद के लिए निर्वाचन कराया जाएगा। निर्वाचन हेतु 25 नवंबर 2024 की दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए लगाया शिविर, पढ़ाने पर दिया जोर

मण्डला,देशबन्धु। ग्राम पंचायत राता सेक्टर मोचा, परियोजना बिछिया, जिला मण्डला में जिला कार्यक्रम अधिकारी शालिनी तिवारी महिला एवं बाल विकास के निर्देशन में वन स्टॉप सेंटर (सखी) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता अभियान अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं बाल विवाह रोकथाम हेतु शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में वन स्टॉप सेंटर मण्डला प्रशासक मधुलिका उपाध्याय द्वारा आस-पास से आये हुये लोगों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत बाल विवाह से जुड़ी सामाजिक कुरीतियों और उनके उम्र के पहले विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बाल विवाह माना जाता है, जिसमें जेल एवं आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में कड़ी कार्यवाही भी की जाती है। इस प्रकार अधिनियम के तहत दोषी पाये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो विवाह समारोह में शामिल होते हैं या सहयोग करते हैं। सभी के लिये उचित दण्ड का प्रावधान है, जिसमें माता-पिता के अलावा पुजारी, मौलवी, रिश्तेदार, बिचैलिये, केटरिंग, टेंट, नाई, ब्यूटी पार्लर, विवाह आयोजक, बैंड, प्रिंटिंग प्रेस वाले भी शामिल हो सकते हैं। बाल विवाह में पकड़े गये दोषियों को 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख तक का जुर्माना या दोनो सजाएं हो सकती हैं। उक्त अभियान अंतर्गत तुलसी विवाह के पश्चात बड़ी संख्या में शादियां आरम्भ हो जाती हैं इसलिये अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही वन स्टॉप सेंटर एवं हब में दी जाने वाली सहायताओं के बारे में भी बताया गया। साथ ही बच्चियों की स्वास्थ्य जांच की गई और दवाई वितरण किया गया। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में बिछिया पंचायत अध्यक्ष शकुना उइके, राता पंचायत सरपंच निशा वारीवा, उपसरपंच झनकलाल साहू, सचिव सरजू सिंह धुर्वे, ग्राम रोजगार सहायक, आ.वा. कार्यकर्ता राता, कपोटबहरा, पौंड़ी, खुकसर और किनारे टोला, पर्यवेक्षक मधुलिका उपाध्याय उपस्थित रहे।

मादक पदार्थ के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

भुआ बिछिया। आपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस अधीक्षक मंडला के निर्देशन पर अवैध रूप से मादक पदार्थ की बिक्री एवं तस्करी करने के आरोप में बिछिया पुलिस ने मंगलवार को मुखबीर की पर अनु.वि.अधिकारी(पुलिस) बिछिया के संज्ञान में लाकर की गई कार्यवाही पर आरोपी मयूर नंदा पिता प्रतुल नंदा उम्र 28 साल निवासी पठानी मोहल्ला बिछिया के कब्जे से कुल 620 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गाँजा कीमती करीब ?6000 को जब्त किया गया । आरोपी के विरूद्ध थाना बिछिया में एनडीपीएस की धारा 8/20 के तहत अपराध क्र. 445/2024 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी से मादक पादर्थ (गांजा)के संबंध में पूछताछ कर मामले मे विवेचना जारी है ।

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंडला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिछिया निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह धुर्वे ,सहायक उप निरीक्षक सुरेश विजवर, उपेंद्र यादव, प्रधान आरक्षक विवेक दुबे, आरक्षक अ

सेम बच्चों को आज दी जाएगी स्वर्ण प्राशन की तृतीय खुराक

मण्डला,देशबन्धु। कलेक्टर के मार्गदर्शन से आयुष विभाग के द्वारा कुपोषण से निदान के लिये नवाचार स्वर्ण कवच अभियान 27 सितंबर 2024 को शुभारंभ किया गया है। इस अभियान में जिले के सेम बच्चों को चिन्हांकित किया गया है जिसके अंतर्गत आयुर्वेदिक औषधि स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र की तिथि में ही दी जाती है। यह औषधि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है एवं बौद्धिक शक्ति क्षमता का विकास होता है। स्वर्ण प्राशन का तृतीय खुराक 21 नवम्बर 2024 को सभी विकासखंडों में 32 केन्द्र बनाकर सेम बच्चों को स्वर्ण प्राशन की औषधि दी जाएगी।

जिला आयुष अधिकारी श्रीमती गायत्री अहाके से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड मंडला के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, एनआरसी और बम्हनी में, बिछिया विकासखंड के बिछिया, अंजनिया, सिझौरा, ककैया, मोचा और रामनगर, नैनपुर विकासखंड के नैनपुर, डिठौरी और पिंडरई, विकासखंड नारायणगंज के नारायणगंज, मानेगांव और देवरीकला, निवास विकासखंड के निवास, मनेरी, भीकमपुर और पिपरिया में, बीजाडांडी विकासखंड के बीजाडांडी, समनापुर और विजयपुर, मवई विकासखंड के मवई, मोतीनाला, अंजनी, मेढा और घुटास में, घुघरी विकासखंड के घुघरी, सलवाह और सुरेहली एवं मोहगांव विकासखंड के मोहगांव और देवगाँव में केन्द्र बनाकर सेम बच्चों को स्वर्ण प्राशन की औषधि दी जाएगी।

कक्षा एक से आठ की शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जाएगी

मण्डला,देशबन्धु। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देशानुसार जिले के विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार करने के लिए 20 एवं 21 नवम्बर को अपार दिवस मनाया जाएगा। अपार आईडी का 12 अंकों का कोड विद्यार्थी के आधार नम्बर से लिंक रहेगा। अपार आईडी में विद्यार्थी की उपलब्धियाँ जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, क्रेडिट स्कोर, छात्रवृत्ति, सिखाने के परिणामों के अतिरिक्त विद्यार्थी की अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के जिला नोडल अरविंद विश्वकर्मा, जिला परियोजना समन्वयक को नियुक्त किया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रगति की ट्रैकिंग की जा सकेगी। अपार आईडी की सहायता से शैक्षणिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण, कौशल विकास, नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने में सुविधा होगी। अपार आईडी का निर्माण यू-डाईस पोर्टल में एडीएमएस अंतर्गत स्कूल स्तर पर किया जाना है, जिसके लिये अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) का आयोजन कर पालकों से उनकी सहमति पत्र में हस्ताक्षर कराकर अभिभावक को पहचान पत्र एवं छात्र का आधार कार्ड की प्रति शाला में जमा करना होगा जिसके उपरान्त ही अपार आईडी बनाई जाएगी।

महुआ लाहन एवं कच्ची शराब जप्त

मण्डला,देशबन्धु। वृत बिछिया में मदिरा का अवैध विक्रय करने वाले स्थानों पर दबिश की कार्यवाही की गई, जिसमें ग्राम दुधारी, गुनेगांव, बिछिया क्षेत्र में मदिरा विक्रय करने पर 4 प्रकरण दर्ज किए गए। कार्यवाही के दौरान 22 लीटर कच्ची शराब एवं 120 किलो महुआ लाहन जप्त किया गया। जप्त लाहन को घटनास्थल पर नष्ट किया कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। कार्यवाही में आबकारी अमला उपस्थित था।

पढ़ाते मिला किराये का शिक्षक, शिक्षिका निलंबित

सेमर कछार की प्राथमिक शाला का मामला प्राचार्य व अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

दमोह, देशबन्धु। दमोह निरीक्षण में पाया गया कि शिक्षिका द्वारा गांव के ही मंगल सिंह गोड़ को स्कूल में तीन हजार रुपए प्रति माह पर अध्यापन कार्य करने को रखा गया है और स्वयं स्कूल में उपस्थित नहीं होती हैं। इस लापरवाही से स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या भी काफी कम है।

जिले के बटियागढ़ ब्लाक के शासकीय प्राइमरी स्कूल सेमर कछार में पदस्थ महिला शिक्षिका के द्वारा किराए पर शिक्षक रखा था। अधिकारियों के निरीक्षण में यह बात सामने आई तो वह भी हैरान रह गए। इसके बाद शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। किराए के शिक्षकों का मामला सामने आने के बाद अब दमोह का शिक्षा विभाग भी नींद से जाग गया है।

दरअसल मंगलवार को बटियागढ़ बीईओ द्वारा स्कूलों का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान बटियागढ़ विकासखंड के शासकीय प्राइमरी स्कूल सेमर कछार का जायजा लिया। वहां पर पदस्थ प्राथमिक शिक्षिका मिथलेश श्रीवास्तव अनुपस्थित पाई गईं। निरीक्षण में पाया गया कि शिक्षिका द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति मंगल सिंह गोड़ को स्कूल में तीन हजार रुपए प्रति माह पर अध्यापन कार्य करने रखा गया है और स्वयं स्कूल में उपस्थित नहीं होती हैं।

उनकी इस लापरवाही से स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या भी काफी कम है। संस्था से अनुपस्थित रहने की वजह से शैक्षणिक कार्य व शालेय गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसके चलते शिक्षिका मिथलेश श्रीवास्तव को जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्हें निलंबन अविध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बटियागढ़ मुख्यालय नियत किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी नेमा ने इस मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी बटियागढ़ और संकुल प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा जबाब समय सीमा में देने के निर्देश दिये है। लोक शिक्षण संचालनालय व कलेक्टर के प्रतिबंध के बावजूद पूरे जिले में सौ से अधिक शिक्षकों के मनमाने तरीके से अटैचमेंट किए गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। छिटपुट कार्रवाई से स्थिति सुधरने वाली नहीं है।

आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले युवक पर मामला दर्ज

डिंडोरी, देशबन्धु। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ भाजपा संगठन के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर यू-टयूब चैनल में पोस्ट करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया जिला संयोजक पवन शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म यू-ट्यूब पर सबकी खबर चैनल व रविंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

भ्रामक वीडियो से छवि धूमिल करने का प्रयास

-पवन शर्मा ने शिकायत में उल्लेख किया कि भ्रामक व आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया में डालकर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में रविंद्र जैन के खिलाफ धारा 336 (4), 356(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मामला दर्ज हुआ है।

शिकायत में बताया गया है कि युवक ने आपत्तिजनक वीडियो अपलोड कर, असत्य व तथ्यहीन सामाग्री लेख करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल किया गया है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें भाजपा के कई कार्यकर्ताओं से जानकारी मिल रही है कि यू ट्यूब पर रविन्द्र जैन द्वारा मनमानीपूर्वक वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो पोस्ट में रविन्द्र जैन द्वारा पदस्थापना के नाम पर छह करोड़ रूपये दलाल के माध्यम से वसूली करने का आरोप है। साथ ही वीडियो में यह भी बताया है कि मप्र की नई सरकार में आईएएस, आईपीएस की पोस्टिंग बिना पैसे दिये संभव नहीं है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि इस वीडियो से अपहानि हो रही है और कार्यकर्ताओं व आम जनता में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। ऐसी अवैधानिक गतिविधियों को रोका जाना आवश्यक है। पुलिस ने यू ट्यूब चैनल संचालक रविन्द्र जैन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।